

प्रेस नोट दिनांक-13.09.2022

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), सहारनपुर द्वारा 04 अभियुक्तों को धारा 03 यूपी गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत दोषी पाते हुए जनपद की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिए किया गया **जिला बदर !!**

अवगत कराना है कि माननीय न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), सहारनपुर द्वारा 04 अभियुक्तों को 03 यूपी गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत दोषी पाते हुए जनपद की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।

निष्कासित अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-सलमान पुत्र महरबान नि0 ग्राम घानाखड़ी थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर।
- 2-नशीम उर्फ डल्लू पुत्र यामीन नि0 ग्राम मोहनपुर गाड़ा थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर।
- 3-अमरदीप पुत्र मिठन नि0 बुड्ढाखेड़ा सन्तलाल थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर।
- 4-सहजाद पुत्र रमजानी नि0 ग्राम दबकोरा थाना बेहट, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 13.09.2022

थाना बेहट पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे

से नाजायज चरस बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी / अभियुक्त गण की गिरफ्तारी व मादक पदार्थों की बिक्री आदि की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बेहट, सहारनपुर के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार पाण्डेय थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पुलिस द्वारा आज दिनांक 13.9.2022 को ग्राम नगला झण्डा पानी की टंकी के पास से अभियुक्त 1. अदनान S/O फैसल निवासी ग्राम नगला झण्डा थाना कोतवाली बेहट सहारनपुर उम्र लगभग 20 वर्ष 2. अकलीम S/O शराफत निवासी नगला झण्डा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर उम्र लगभग 35 वर्ष को समय 03.15 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से क्रमशः 200-200 ग्राम चरस (नाजायज) बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 452/22 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम अदनान उपरोक्त व मु0अ0सं0 453/22 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम अकलीम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त गण को मा0 न्या0 के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1 अदनान S/O फैसल निवासी ग्राम नगला झण्डा थाना कोतवाली बेहट सहारनपुर उम्र लगभग 20 वर्ष

2. अकलीम S/O शराफत निवासी नगला झण्डा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी

1. दोनो अभियुक्तों के कब्जे से 200-200 ग्राम चरस नाजायज

आपराधिक इतिहास- निल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार पाण्डेय थाना बेहट जिला सहारनपुर
- 2- निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार थाना बेहट जिला सहारनपुर
- 3- उ0नि0 श्री सतीश कुमार थाना बेहट जिला सहारनपुर
- 4- है0का0 341 कुलदीप कुमार थाना बेहट जिला सहारनपुर
- 5- का0 1579 मनीष कुमार थाना बेहट जिला सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 13.09.2022

थाना बेहट पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे

से नाजायज स्मैक बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराधो की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी / अभियुक्त गण की गिरफ्तारी व मादक पदार्थो की बिक्री आदि की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बेहट, सहारनपुर के कुशल पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी श्री बृजेश कुमार पाण्डेय थाना बेहट के कुशल नेतृत्व मे थाना बेहट पुलिस द्वारा आज दिनांक 13.9.2022 को पथरवा पाजराना रोड से अभियुक्त 1 जाबिर पुत्र सूबेदीन नि० ग्राम पथरवा थाना कोतवाली बेहट सहारनपुर उम्र लगभग 25 वर्ष व एक अभियुक्ता शबाना पत्नी असलम नि० ग्राम पथरवा थाना बेहट जिला सहारनपुर उम्र करीब 30 वर्ष को समय 09.15 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण के कब्जे से क्रमशः 10-10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु०अ०सं० 454/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम जाबिर उपरोक्त मु०अ०सं० 455/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम शबाना उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण को मा० न्या० के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. जाबिर पुत्र सूबेदीन नि० ग्राम पथरवा थाना कोतवाली बेहट सहारनपुर उम्र लगभग 25 वर्ष
2. शबाना पत्नी असलम नि० ग्राम पथरवा थाना बेहट जिला सहारनपुर उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी

1. दोनो के कब्जे से 10-10 ग्राम स्मैक नाजायज

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जाबिर पुत्र सूबेदीन

1. मु०अ०सं० 178/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट
2. मु०अ०सं०- 180/21 धारा 414 भादवि थाना बेहट
3. मु०अ०सं० 270/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट
4. मु०अ०सं० 273/21 धारा 414 भादवि थाना बेहट
5. मु०अ०सं० 159/22 धारा 398/401 भादवि थाना बेहट
6. मु०अ०सं० 160/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 6- प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार पाण्डेय थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
- 7- निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
- 8- उ०नि० श्री रामकिशन सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
- 9- का० 1579 मनीष कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
- 10- का० 1594 मोहित धामा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
- 11- म०का० 1634 सुमन देवी थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक- 13.09.2022

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 141 ग्राम

नाजायज चरस बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के आदेशानुसार व पुलिस अधीक्षक नगर, सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी सदर, सहारनपुर के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना चिलकाना के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तगण व मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अभि० 1. जावेद उर्फ सोनू पुत्र स्व० शहीद नि० ग्राम टोडरपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर को दिनांक 13.09.2022 को समय करीब 10.45 बजे घटना चिलकाना गधेवड रोड से दबकौरा रोड से 141 ग्राम चरस नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 249/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम जावेद उर्फ सोनू उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. जावेद उर्फ सोनू पुत्र स्व० शहीद नि० ग्राम टोडरपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

बरामदगी

141 ग्राम चरस नाजायज

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 511/20 धारा 60/63 आब०अधि० थाना चिलकाना स०पुरा
2. मु०अ०सं० 249/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट

गिरफ्तार करने वाले अधि०/कर्म०गण

- 1-उ०नि० अतुल कुमार थाना चिलकाना स०पुर
- 2-का० 1924 प्रताप कुमार थाना चिलकाना स०पुर
- 3- का० 647 संजीव कुमार थाना चिलकाना स०पुर